राजस्व अपील प्राधिकारी,अलवर

अज अदालत राजस्व अपील प्रा० मुकाम अलवर

सुन्दरी बनाम हाजूराम

किस्म मुकदमा 223 RT Act नं सन् 61/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.10.19	पत्रावली बाद जांच रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। अपील मियाद बाहर पेश की गई है।अतः सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जावे। पत्रावली उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के कोर्ट कैम्प मुण्डावरा के निर्णय दिनांक 26.05.2017 के विरूद्ध लोक अदालत में किये गये निर्णय के खिलाफ पेश की गई है। अभि. अपीलांट द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी ग्राम कानपुरा लौज,तहसील थानागाजी जिला अलवर में स्थित है। रेस्पो0 द्वारा तहत अदालत में अपने वादपत्र में व दावे के साथ जो नक्शा पेश किया है आराजी मुतनाजा का बुजुर्गों के समय से ही काबिज व बंटवारा कर रखी है। तहत अदालत को वादी के दावे व नक्शे के अनुसार प्रारंभिक व अंतिम डिक्री पारित करनी चाहिये थी लेकिन तहत अदालत ने गलत तरीके से प्रारंभिक डिक्री व अंतिम डिक्री पारित की है। तहत अदालत का आदेश लोक अदालत का आदेश नहीं है क्यों कि ना तो दोनों पक्षकारान की सहमति से आदेश हुआ है ना ही पक्षकारों का राजीनामा पेश हुआ है साथ ही पत्रावली लोक अदालत के लिये गठित समिति के समक्ष नहीं रखी गई है।लोक अदालत के लिये गठित समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर भी उक्त आदेश और डिक्री में नही है।यह भी प्रार्थना की गई कि अपीलांट को बिना तामील कराये, सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा दस्तावेज पेश करने का मौका दिये बिना राजस्व लोक अदालत में निर्णय सादिर फरमाया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20(3) में यह प्रावधान है कि जो प्रकरण लोक अदालत के समक्ष लिया गया है, वहां लोक अदालत उस मामले या विषय का निपटारा करने के लिये अग्रसर होगी और पक्षकारों के बीच समझौता करायेगी या परिनिर्धारण करेगी। इस अधिनियम की धारा 21 व 22 में अत्यन्त प्रासंगिक है जो निम्नानुसार है– (1) लोक अदालत का प्रत्येक निर्णय, अधिनिर्णय यथा स्थिति सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य न्यायालय का आदेश माना जायेगा और ऐसे किसी लोक अदालत द्वारा धारा 20 की उपधारा 1 के अधीन उसका निर्णय किसी लोक अदालत द्वारा मामले में समझौता या परिनिर्धारण किया गया है, वहां ऐसे मामले में संदत्त न्यायालय फीस, न्यायालय फीस अधिनियम 1870 के उपबंधित रीति से लौटा दी जायेगी। (2) लोक अदालत या स्थाई लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अन्तिम और विवाद के सभी पक्षकारों पर होगा तथा अधिनिर्णय के खिलाफ किसी न्यायालय में कोइ अपील नही होगी। हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी। तहत अदालत के निर्णय का अवलोकन किया। बहस पर मनन करने उपरान्त हम ये आदेश देना उचित समझते हैं कि प्रथम तो उक्त अपील लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ पेश की गई है। दूसरा तहत अदालत द्वारा अपील में वर्णित सभी बिन्दुओं का अवलोकन नही किया जाकर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है।अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है।उभय पक्षकारान को रेकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति रखने हेतु पाबन्द किया जाता है एवं उक्त अपील को तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी थानागाजी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पुनः दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देते हुये विधिसम्मत अपना निर्णय पारित करें । आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।	